

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कबीरधाम

कमांक/680/आजाक/पो.मै.ऑन.छात्र./2025-26
प्रति,

कबीरधाम दिनांक 20/05/2026

सर्व प्राचार्य
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,

विकासखण्ड-कवर्धा/बोडला/पंडरिया/स.लोहारा
जिला-कबीरधाम(छ.ग.)

वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति(कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाइन पंजीयन की सूचना।
आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर का पृ.कमांक/ऑ.ला.
पो.मै.छा./215/2025-26/1741-1742 नवा रायपुर दिनांक 19.05.2025

संदर्भ :-

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार वर्ष 2025-26 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रारंभ की गई है।

जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2025-26 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जा रही है:-

आवेदन का प्रकार	विद्यार्थियों द्वारा आनलाईन आवेदन प्राप्ति तिथि	स्वीकृति एवं डिस्बर्स		संभावित भुगतान तिथि
		शासकीय	अशासकीय	
1	2	3	4	5
नवीनीकरण	31 मई 2025 तक	07 जून 2025 तक	10 जून 2025 तक	10 जून 2025 तक
	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025 तक
नवीन	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक
	30 सितम्बर 2025 तक	07 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025 तक
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025 तक

कृपया विद्यार्थियों को उनके आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा। निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं Draft Proposal Lock अथवा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किये जाने का निर्देश प्राप्त है। प्राप्त निर्देशानुसार उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के पात्रता रखने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित होने की स्थिति में संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

1. छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है:-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रु. 1.00 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।

2. PFMS के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें।

3. वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को NSP Portal से OTR(One Time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।

4. वर्ष 2025-26 में नवीन संस्था प्रमुख (HoI) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (INO) का Biometric-Authentication किया जाना अनिवार्य है।

पृ.कमांक/681/आजाक/पो.मै.ऑन.छात्र./2025-26
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2. कलेक्टर, जिला कबीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ।

3. सहायक संचालक, जनसंपर्क कबीरधाम की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि कृपया उपरोक्तानुसार जानकारी (पोर्टल प्रारंभ एवं अंतिम तिथि) दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में लगातार तीन दिवस नि:शुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करेंगे।

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास कबीरधाम
कबीरधाम दिनांक 20/05/2025

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास कबीरधाम



कवर्धा, दिनांक-25/06/2025

//पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी सूचना//

कार्यालय कलेक्टर अदिवासी विकास कबीरधाम के निर्देशानुसार सत्र 2025-26 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु <http://postmatric scholarship.cg.nic.in> वेबसाइट पर ऑनलाईन पंजीयन प्रारंभ तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जा रही है:-

क्र.	विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं महाविद्यालय में हार्डकापी के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने हेतु निर्धारित तिथि
01.	दिनांक-31.05.2025 तक।
	दिनांक-31.08.2025 तक।
	दिनांक-30.11.2025 तक।
02.	दिनांक-31.08.2025 तक।
	दिनांक-30.09.2025 तक।
	दिनांक-30.11.2025 तक।

हार्डकापी के साथ संलग्नक छायाप्रतियाँ :-

1. दसवीं एवं बारहवीं अंकसूची की स्व-सत्यापित छायाप्रति।
2. सत्र 2024-25 में उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची की स्व-सत्यापित छायाप्रति।
3. स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित छायाप्रति।
4. आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति। (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के अभिभावक का वार्षिक आय सीमा-2,50,000/- तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावक का वार्षिक आय सीमा-1,00,000/- से अधिक नहीं होने चाहिये। जिन विद्यार्थियों के माता-पिता शासकीय सेवक हैं उन विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी)
5. महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र/ प्रवेश शुल्क रसीद की स्व-सत्यापित छायाप्रति।
6. आधार कार्ड की स्व-सत्यापित छायाप्रति। (बैंक खाता, आधार से लिंक होना चाहिए)
7. बैंक पासबुक की स्व-सत्यापित छायाप्रति। (आधार सीडेड बैंक खाता नंबर को ही छात्रवृत्ति फॉर्म में प्रविष्ट करें।)
8. छात्रावास में निवास का प्रमाण पत्र की मूलप्रति। (छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों के लिये)
9. अभिभावक का शपथ प्रमाण पत्र। (10 रु. के स्टॉम्प में नोटरी द्वारा, जिसमें माता-पिता के वार्षिक आय तथा शासकीय सेवा में है या नहीं का उल्लेख हो)
10. फोटो। (उपरोक्त सभी दस्तावेज इसी क्रम में छात्रवृत्ति हार्डकापी के साथ संलग्न होने चाहिये।)

टीप:-01. आधार कार्ड, अंकसूची और छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पंजीयन में नाम व स्पेलिंग एक समान होना चाहिये।

- 02 छात्रवृत्ति हार्डकापी जमा करते समय रजिस्टर में whatsapp नंबर को दर्ज करें ताकि SMS के माध्यम से छात्रवृत्ति संबंधित सूचना प्रेषित किया जा सके।

प्रमाणित
छात्रवृत्ति शाखा

0/c

प्रमाणित
Govt College Kawardha
Jilsa -Kabiratham (C G)